संख्या-754/एक-10-2023-33(04)/2023

प्रेषक,

प्रभु एन० सिंह,
सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अयोध्या।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 29/05/2023

विषयः- जनपद-अयोध्या में डूबने से होने वाली जनहानियों को रोकने हेतु तैयार की गयी योजना "Drowning Risk Reduction Plan, River Saryu, Ayodhya" के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष-2023-24 में राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश को प्रेषित अपने पत्र संख्या-205/सी० आर० ए०-आपदा/सरयू-डी० पी० आर०/2023, दिनांक-13.02.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद-अयोध्या में डूबने से होने वाली जनहानियों को रोकने हेतु तैयार की गयी योजना "Drowning Risk Reduction Plan, River Saryu, Ayodhya" के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक-17.05.2023 को सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णयानुसार **तालिका-अ** में उल्लिखित विवरणों के आधार पर जनपद-अयोध्या में डूबने से होने वाली जनहानियों को रोकने हेतु तैयार की गयी योजना "Drowning Risk Reduction Plan, River Saryu, Ayodhya" के क्रियान्वयन हेतु **राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से वित्तीय वर्ष- 2023-24 में रू० 6,16,30,694/- (रूपये छह करोड़ सोलह लाख तीस हजार छह सौ चौरानबे मात्र) की धनराशि** निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन **जिलाधिकारी, अयोध्या** के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

तालिका-अ

क्रमांक	कार्य	संख्या	दर (रू० में)	लागत (रू० में)
1	ड्राउनिंग रोकने हेतु फ्लोटिंग बैरियर	1370	9200	12604000
2	राहत एवं खोज बचाव हेतु विभिन्न उपकरण			11021220
3	फ्लोटिंग जेट्टी	270 sqm	16000	4320000
4	सेफ्टी नेट	4635 sq m	500	2317500

5	स्टेक होल्डर/फस्ट रेस्पॉन्डर ट्रेनिंग			4620000
6	पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन सिस्टम			6689860
7	2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों हेतु मेंटिनेन्स कॉस्ट			4494113.95
8	Preliminary cost			494000
9	6.875% Centage Charges			3433000
10	18% GST			9605000
11	Labour Cess@1%			534000
12	Contingency@3%			1498000
	योग			**6,16,30,694/-**

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबंधों</u>

1. अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराए जाने वाला कार्य राहत आयुक्त संगठन से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार कराया जायेगा।
2. स्वीकृति धनराशि का उपभोग वितीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/ बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।
3. राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार के पत्र सं०-33-02/2020-NDM-I , दिनांक-14.01.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
4. समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक-31.03.2024 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष वचती है तो नियमानुसार दिनांक-31.03.2024 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
5. जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।
6. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।
7. व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
8. ई-टेण्डरिंग/जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **रूपये 6,16,30,694/- (रूपये छह करोड़ सोलह लाख तीस हजार छह सौ चौरानवे मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 4250-101-05-24 से वृहत निर्माण कार्य हेतु स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/ बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार

के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

Signed by प्रभु नारायण सिंह
भवदीय,
Date: 29-05-2023 15:40:01
Reason: Approved

(प्रभु एन० सिंह)
सचिव।

<u>संख्याः-754(1)/एक-10-2023-33(04)/2023 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।

2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ०प्र०।

3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन(ई-बजट), राजस्व विभाग उ०प्र०।

4- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ।

5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।

6- सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।

8- राहत आयुक्त कार्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि प्रसाद सिंह)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-05/06/2023

प्रेषण संख्या:- 754
आवंटन आदेश संख्या:- 001-754
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - प्राकृतिक आपदाएं
05 - स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	अयोध्या-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	61630694 61630694	61630694 61630694
	योग	वर्तमान प्रगामी	61630694 61630694	61630694 61630694

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छ: करोड़ सोलह लाख तीस हजार छ: सौ चौरानवे
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छ: करोड़ सोलह लाख तीस हजार छ: सौ चौरानवे

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

Digitally signed by akhilesh pratap singh
Reason: Allotment Completed
Location:Uttar Pradesh
Date:2023.06.04 11:14:52 +05:30